

दिल्ली विकास प्राधिकरण
कुतुब गोल्फ कोर्स
प्रेस एन्क्लेव रोड, नई दिल्ली - 110017

File No.F3(16)/QGC/DDA/Civil/2025-26/349

Dated: 20.08.2025

कोटेशन आमंत्रण ऑनलाइन नोटिस संख्या 05

कुतुब गोल्फ कोर्स में निम्नलिखित कार्यों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण, (स्पोर्ट्स विंग) की ओर से ऑनलाइन कोटेशन आमंत्रित किए जाते हैं। कोटेशन दो भागों में अपलोड किया जाएगा, अर्थात् 'भाग-I' जिसमें तकनीकी बोली होगी और 'भाग-II' जिसमें 'वित्तीय बोली' होगी। निर्धारित तरीके से अपलोड नहीं की गई बोली को बिल्कुल भी शामिल नहीं किया जाएगा। केवल वे एजेंसियां/फर्म/व्यक्ति जिन्होंने समान कार्य पूरा किया है, जिन्होंने तीन या अधिक समान प्रकृति के कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया है, जिनमें से प्रत्येक की लागत निविदा में रखी गई अनुमानित लागत का 40% से कम नहीं है, या दो पूर्ण किए गए कार्य हैं, जिनमें से प्रत्येक की लागत 60% से कम नहीं है। पिछले सात वर्षों के दौरान निविदा में डाली गई अनुमानित लागत, या एक पूर्ण कार्य जिसकी लागत अनुमानित लागत का 80% से कम न हो, सरकारी विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में प्रत्येक वर्ष के दौरान अनुमानित लागत का 30% से अधिक वार्षिक कारोबार के साथ निविदा में रखा गया हो। मार्च 2024 को समाप्त होने वाले पिछले लगातार तीन वित्तीय वर्षों में वैध यूडीआईएन रखने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित आवेदन करने के हकदार हैं। इसका एक प्रमाण तकनीकी बोली के साथ अपलोड किया जाना चाहिए। निविदाकर्ता को जीएसटी विभाग के साथ पंजीकृत होना चाहिए और निविदा के साथ पंजीकरण की एक प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए। निविदाकर्ता को जीएसटी विभाग के साथ पंजीकृत होना चाहिए और निविदा के साथ पंजीकरण की एक प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए। बयाना राशि आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से "सीएयू स्पोर्ट्स डीडीए (ईएमडी खाता)" के खाते में जमा की जाएगी, जिसका खाता नंबर 1614159849 "कोटक महिंद्रा बैंक, गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली, (आईएफएससी। केकेबीके0000184)" है।

अब:-कुतुब गोल्फ कोर्स का रखरखाव, डीडीए।

उप-मुख्यालय:- क्यूजीसी में एफ एंड बी प्रवेश के पास रिसेप्शन क्षेत्र में 12 मिमी कठोर ग्लास उपलब्ध कराना और लगाना

अनुमानित लागत: रु.10,552/-

बयाना राशि: 5,000/-

क्र.सं.	विवरण	मात्रा	दर	मात्रा
1.	क्यूजीसी में एफ एंड बी प्रवेश के निकट रिसेप्शन क्षेत्र में 12 मिमी कठोर ग्लास उपलब्ध कराना और लगाना।	4.79	Rs.1925/-	9221.00
2.	फिक्सिंग शुल्क	प्रति दिन 1 व्यक्ति	Rs.1331.21	1331.21
कुल				10,552.21
Say Rs.				10,552.00

कोटेशन दस्तावेज़ ई-टेंडरिंग पोर्टल यानी वेबसाइट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> या www.dda.org.in पर **29.08.2025** (03:00 अपराह्न) तक प्राप्त/डाउनलोड किए जा सकते हैं। (बिद्री की अंतिम तिथि) और तकनीकी बोली का उद्घाटन **30.08.2025** (3.30 अपराह्न) को होगा। आरटीजीएस/एनईएफटी का अद्वितीय लेनदेन संदर्भ कोटेशनकर्ता द्वारा निर्धारित तिथि तक ई-टेंडरिंग प्रणाली में अपलोड करना होगा।

तकनीकी बोली (पहला कवर)

तकनीकी बोली में कोटेशनकर्ताओं को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है:-

1. आरटीजीएस/एनईएफटी (ईएमडी) के संदर्भ की स्कैन की गई
2. पैन नंबर की स्कैन की गई कॉपी
3. जीएसटी प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति।
4. डीडीए के ठेकेदार पंजीकरण बोर्ड के पास जमा अपेक्षित शुल्क के प्रमाण की स्कैन की गई प्रति।
5. मार्च 2024 को समाप्त होने वाले पिछले लगातार तीन वित्तीय वर्ष के टर्नओवर की स्कैन की गई प्रतिलिपि, वैध यूडीआईएन वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित।
6. 100/- रुपये के नवीनतम गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर इस आशय के वचन की स्कैन की गई प्रति कि एजेंसी किसी भी सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या निजी संगठन/एजेंसी/फर्म/व्यक्ति/निविदाकर्ता द्वारा काली सूची में नहीं डाली गई है या प्रतिबंधित नहीं है।
7. एनआईक्यू की धाराओं के अनुसार आवश्यक कोई अन्य दस्तावेज।

वित्तीय बोली (दूसरा कवर)

i) मात्रा अनुसूची (BoQ के रूप में...xls)।

तकनीकी बोली के साथ आवश्यक जानकारी और/या दस्तावेजों के संबंध में किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

डीडीए के ठेकेदार पंजीकरण बोर्ड (सीआरबी) में पंजीकृत बोलीदाता/निविदाकर्ता को निम्नलिखित ई-निविदा शुल्क (जीएसटी लागू होने पर) का भुगतान करना होगा:

<u>ठेकेदार का वर्ग</u>			<u>प्रति वर्ष भुगतान की जाने वाली राशि</u>
1.	श्रेणी-I	-	₹20,000 + जीएसटी
2.	श्रेणी-II	-	₹16,000 + जीएसटी
3.	श्रेणी-III	-	₹14,000 + जीएसटी
4.	श्रेणी-IV	-	₹10,000 + जीएसटी
5.	श्रेणी-V	-	₹6,000 + जीएसटी

जो बोलीदाता डीडीए के सीआरबी में पंजीकृत नहीं हैं और डीडीए निविदाओं में बोली लगाना चाहते हैं, उन्हें ई-टेंडरिंग का वार्षिक शुल्क निम्नानुसार देना होगा:-

<u>कार्य की लागत:</u>		<u>ई-टेंडरिंग शुल्क</u>
(i)	15.00 लाख तक	: ₹6000/- + जीएसटी
(ii)	15.00 लाख से 20.00 करोड़ तक	: ₹20,000/- + जीएसटी
(iii)	20.00 करोड़ से अधिक	: ₹50,000/- + जीएसटी

निविदा दो भागों में ऑनलाइन प्रस्तुत की जाएगी, अर्थात् तकनीकी बोली और मूल्य बोली।

नोट (1):- बोलीदाता एक यूटीआर संख्या का उपयोग केवल एक कार्य के लिए करेगा। यदि यह पाया जाता है कि उसने विभिन्न निविदाओं के लिए एक ही यूटीआर संख्या का उपयोग किया है, तो उसके द्वारा प्रस्तुत सभी निविदाएँ अस्वीकार कर दी जाएँगी और उसे भविष्य में डीडीए में आगे निविदाएँ देने से रोक दिया जाएगा।

नोट (2):- इच्छुक निविदाकर्ता को डीडीए में निविदा देने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि अपेक्षित शुल्क सीआरबी के पास पहले ही जमा कर दिया गया है।

नोट (3):- निविदा खुलने तक निविदाकर्ताओं द्वारा किसी भी दस्तावेज़ की हार्ड कॉपी जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। संबंधित दस्तावेज़ों की हार्ड कॉपी केवल न्यूनतम बोली लगाने वाले से ही आवश्यक होगी।

नोट (4):- नियम और शर्तों, विशेष कार्य के पात्रता मानदंड, आरटीजीएस मोड के माध्यम से बयाना राशि जमा करने की विधि और अन्य जानकारी/निर्देशों के लिए, कृपया डीडीए की वेबसाइट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> या www.dda.org.in देखें। ई-टेंडरिंग पर किसी भी सहायता के लिए कृपया संबंधित कार्यकारी अभियंता या मेसर्स एनआईसी से ईमेल cxxx-nic@nic.in या 0120-4200462, 0120-4001002, 0120-4001005, 0120-6277787 पर संपर्क करें या भेजें ईमेल भेजें - support-eproc@nic.in

नियम एवं शर्तें:-

1. कार्य विनिर्देशों के अनुसार किया जाएगा।
2. उद्धृत दर में संबंधित राज्यों के तहत देय जीएसटी सहित सभी कर/लेवी शामिल होनी चाहिए, डीडीए इस संबंध में किसी भी दावे पर विचार नहीं करेगा।
3. भुगतान आरई/सचिव/क्यूजीसी, डीडीए की पूरी संतुष्टि के बाद किया जाएगा।
4. विभाग द्वारा कोई टीएंडपी जारी नहीं किया जाएगा।
5. आपूर्ति/कार्य आदेश जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा।
6. एजेंसी को कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।
7. आयुक्त (खेल) बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली/कोटेशन को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
8. यदि कार्य निर्धारित समय में पूरा नहीं होता है तो कार्य घटिया पाए जाने पर संबंधित एजेंसी को डिबार करने का अधिकार आयुक्त (खेल) के पास सुरक्षित है।
9. सशर्त कोटेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
10. यथा लागू आवश्यक वैधानिक कटौतियाँ की जाएंगी।
11. निविदा राशि से 10% सुरक्षा जमा राशि की कटौती की जायेगी।
12. साइट पर किसी भी नाबालिग को काम पर नहीं लगाया जाएगा।
13. विभाग द्वारा एजेंसी को कुछ भी अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।
14. कोटेशन की वैधता खुलने की तारीख से 60 दिन है।
15. वर्जित एजेंसी/या व्यक्ति को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एजेंसी प्रतिष्ठित होनी चाहिए और उसकी कोई धूमिल प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए।
16. किसी भी व्यक्ति, जिसे प्रतिबंधित किया गया है, को किसी भी बातचीत में भाग लेने या किसी एजेंसी का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति नहीं है, भले ही उसके पास एजेंसियों की ओर से पावर ऑफ अटॉर्नी हो। वर्जित व्यक्तियों को शामिल करने वाली कोई भी एजेंसी भी वर्जित करने के लिए उत्तरदायी है।
17. एजेंसी में शामिल व्यक्तियों के बजाय एजेंसियों के अनुभव को ध्यान में रखा जाना चाहिए, जिसमें स्वामित्व शामिल नहीं है।
18. अनुसूची में मदों की मात्रा अस्थायी है जो साइट की स्थितियों के आधार पर बदल सकती है।
19. यदि संपूर्ण कार्य कार्य आदेश में उल्लिखित निर्धारित समय के भीतर नहीं किया जाता है, तो यह सचिव/क्यूजीसी का पूर्ण विवेक होगा कि वह मद के कार्य को ऐसी शर्तों पर स्वीकार करे जैसा सचिव उचित और उचित समझे या आपूर्ति रद्द कर दे। कार्य आदेश/कार्य

के विरुद्ध किसी भी भुगतान को रोकने/बयाना राशि जम्मा करने या संबंधित एजेंसी को प्रतिबंधित करने के लिए। इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और किसी भी फोरम के समक्ष उस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा।

20. कार्य सम्पादन के दौरान ठेकेदार पूर्णतः उत्तरदायी होगा। यदि साइट/आसपास पर कोई हानि/चोरी/क्षति होती है, तो उसे उद्धृत दरों के साथ पूरा किया जाएगा या एजेंसी से वसूल किया जाएगा/एजेंसी के जोखिम और लागत पर पूरा किया जाएगा।

21. यदि कोई एजेंसी पहली बार दोषपूर्ण या अधूरी निविदा प्रस्तुत करती है, तो जमा की गई बयाना राशि का 20% जम्मा कर लिया जाएगा। हालाँकि, यदि एजेंसी गलती करती है या बाद की निविदाओं में फिर से अधूरी निविदा प्रस्तुत करती है और सक्षम प्राधिकारी को पता चलता है कि चूक उसके इरादे में जानबूझकर, लापरवाही या दुर्भावनापूर्ण है, तो बिना कोई कारण बताए बयाना राशि जम्मा कर ली जाएगी और निविदाकर्ता को ऐसा करना होगा। भविष्य की निविदा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

22. यदि बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत दरें समान हैं, तो निर्णय पर पहुंचने के लिए, कॉम्प्लेक्स के सचिव, आरई और कॉम्प्लेक्स के डीडीओ की एक समिति द्वारा लॉटरी निकाली जाएगी।

23. एजेंसी में शामिल व्यक्तियों के बजाय एजेंसियों के अनुभव को ध्यान में रखा जाना चाहिए, जिसमें स्वामित्व शामिल नहीं है।

24. डीडीए के सदस्यों और प्रशासनिक कर्मचारियों की वास्तविक समय की प्रतिक्रिया के आधार पर जब भी सेवा में कमी देखी जाएगी तो उसे सुधार के लिए एजेंसी/ठेकेदार को सूचित किया जाएगा। यदि सूचना के समय से निर्धारित अवधि के भीतर कोई सुधार/सुधार नहीं होता है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित आनुपातिक कटौती, एजेंसी/ठेकेदार से की जाएगी।

--sd--

रेजिडेंट इंजीनियर/क्यूजीसी/डीडीए